[9/8/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 173]

परिशिष्ट -'अ'

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25/1/2021

क्र./निमार्ण/कि.स.नि./मंडी बोर्ड/ग्रा.स./2020–21/ 1530

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
पर्यावास भवन भोपाल।

विषयः– राजगढ़ जिले में किसान सड़क निधि से निर्मित ग्रामीण सड़को की गांरटी अवधि पूर्ण होने से हस्तांतरित करने बाबत्।

संदर्भः– कार्यपालन यंत्री, मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग, भोपाल का पत्र क्र0 986 दिनांक 11.12.2020।

---0---

उपरांक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से राजगढ़ जिले में किसान सड़क निधि से निर्मित ग्रामीण सड़को का निर्माण मंडी बोर्ड द्वारा कराया गया था। निम्नानुसार विवरण तालिका में वर्णित है :–

क्रं.	जिला	कार्य का नाम	सड़कों की लम्बाई (कि.मी.में)	कार्य की लागत राशि (रू. लाख में)	कार्यपूर्णता दिनांक
1	राजगढ़	कालूखेड़ा से शुजालपुर रोड तक बी.टी. रोड	3.10	77.30	04.08.2012
2	राजगढ़	कल्याणपुरा से सराली जोड तक बी.टी रोड	3.00	79.46	04.08.2012
3	राजगढ़	महुआ से परसूखेड़ी रोड तक बी.टी. रोड	2.48	141.97	08.07.2019
4	राजगढ़	बमोरा से बूचाखेड़ी जोड़ तक बी.टी.	2.52	91.83	08.07.2014

वर्तमान में म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशो के तहत मंडी एंव मंडी बोर्ड द्वारा मंडी प्रांगण के बाहर सड़कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों का मरम्मत कार्य कराया जाना अंति आवश्यक है।

अतः पूर्व की भांति मंडी बोर्ड द्वारा तालिका में वर्णित 04 सड़कों को आपकी ओर हस्तांतरित की जा रही है। कृपया इस कार्यालय को संसूचित करने का कृपा करेंगे।
(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अधीक्षण यंत्री 25/1
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ0क्र./निमार्ण/कि.स.नि./मंडी बोर्ड/ग्रा.स./2020–21/1631 भोपाल, दिनांक 25/1/21

प्रतिलिपि :–
1– कलेक्टर, जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग भोपाल की ओर प्रेषित।

अधीक्षण यंत्री 21
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट -'अ'
..9001

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

T-sir-Gen. Letter

1

(2)

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 173 तारांकित का परिशिष्ट "ब"

--00--

म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/डी-15-63/18/14-3 दिनांक 06.10.2018 द्वारा मंडी फीस की राशि प्रत्येक रूपये 100/- पर रूपये 2/- के स्थान पर रूपये 1.50/- नियत किया गया है और राज्य विपणन विकास निधि (सड़क निधि) का विभाजन आदेश अलग से जारी करने का उल्लेख अधिसूचना में किया गया है। उक्त निधि के विभाजन आदेश जारी करने हेतु मंडी बोर्ड द्वारा समय-समय पर शासन को प्रस्ताव भेजे गये हैं, परन्तु वर्तमान तक विभाजन आदेश शासन स्तर से जारी नहीं हुए है।

योजना आंरम्भ वर्ष 2000-2001 से सितम्बर 2018 तक की अंश राशि रूपये 3325.81 करोड ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को प्रदाय की गई है। राज्य विपणन विकास निधि के विभाजन आदेश जारी नहीं होने से ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण को सितम्बर 2018 के पश्चात अग्रिम के रूप में राशि रूपये 200.00 करोड़ नवम्बर 2019 में, 100.00 करोड़ 19.02.2021 को एवं 15.00 करोड़ दिनांक 29.06.2021 को इस प्रकार कुल राशि रूपये 315.00 करोड़ अग्रिम के रूप में प्रदाय किये गये हैं।

परिशिष्ट -'ब'
पेज 50 - 01

अधीक्षण यंत्री
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल